**भारत सरकार**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 2020**

**दिनांक 06 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**तुरा चिकित्सा महाविद्यालय**

**2020. श्री सालेंग ए. संगमा:**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मेघालय में तुरा चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके पूरा होने की संभावित समय-सीमा क्या है;

(ख) क्या इस परियोजना के भाग के तौर पर एक 500 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तुरा चिकित्सा महाविद्यालय परियोजना में विलंब उत्पन्न करने वाली विशिष्ट चुनौतियों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उनके समाधान के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) तुरा चिकित्सा महाविद्यालय के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया गया है और प्रस्तावित 500 बिस्तरों वाले अस्पताल के लिए बजट में कितनी अतिरिक्त निधि का प्रावधान किया गया है;

(ङ) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल दोनों को कार्यशील बनाने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और

(च) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि स्वदेशी समुदायों सहित स्थानीय आबादी रोजगार और प्रशिक्षण के अवसरों से लाभान्वित हों?

**उत्तर**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)**

(क) से (च): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' के एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) का संचालन करता है, जिसमें ऐसे वंचित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाती है, जहां कोई मौजूदा सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निधि साझाकरण तंत्र पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 90:10 के

अनुपात में और अन्य के लिए 60:40 है। इस योजना के चरण-I के तहत, मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स के डोलडेग्रे में तुरा मेडिकल कॉलेज को वर्ष 2017 में 189 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी गई थी, जिसे केंद्र और राज्य सरकार के बीच 90:10 के अनुपात में साझा किया जाना था। मेघालय सरकार को 171.10 करोड़ रुपए का पूरा केंद्रीय अंशदान जारी किया जा चुका है। इस परियोजना का उद्देश्य स्वदेशी समुदायों सहित स्थानीय जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करना था।

इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, योजना के तहत स्वीकृत मेडिकल कॉलेजों की योजना, क्रियान्वयन और गठन का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। मेघालय सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, भौगोलिक क्षेत्र, कम कार्य घंटे और जलवायु परिस्थितियाँ परियोजना के पूरा होने में देरी का कारण बनने वाली प्रमुख चुनौतियों में से हैं। इस परियोजना की समग्र भौतिक प्रगति 73% है। इसके अलावा, वर्तमान में इस परियोजना के तहत 500 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

******